

23.3.18 वादी एवं उसके अधिका

उपरिष्ठत नहीं है।
प्रतिवादी के अधिका उपरिष्ठत।

वादी एवं प्रतिवादी अधिका को
शक-2 का आदेश देलई।

उपरिष्ठत नहीं आये। समय अदालत
समाप्त है।

फलतः वादी एवं प्रतिवादी

वाक प्रथम हाजरी, प्रथम पैरवी
में दायित्व दफ्तर किया जाता है।
पत्रांत निर्मित तदा उपरिष्ठत है।

वाक तदनुसार जमा अतिरिक्त जमा का (1/2)

उपस्थित अधिकारी
कोटकालिम (अलवर)